

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड १

PART III—Section 1

अधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई ३१, १९७३/श्रावण ९, १८९५
No. ४] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 1973/SRAVANA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR**

Amritsar, the 30th July 1973

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961
(43 OF 1961)

No. ASR/RG/73-74/P-175/S.117/92.—Whereas I, H. S. Dhuria, being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Apple orchard in village Shalana as mentioned in the Registered Deed No. 5 of January, 1973 situated at Village Shalana, P.O. & Teh. Rajgarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajgarh (H.P.) on January 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transfer(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) reduction or evasion of the liability of the transferor to the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any from the transfer, and/or
- (b) concealment of any income or any moneys or other assets not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reason for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

- (1) Shri Dewan Singh Arya s/o Shri Karay Mal, Gandhi Nagar, Meerut—(Transferor).
- (2) Shri Kanti Kumar s/o Shri Kultilk Ram, Swami Building, Rama Nand Bagh, Amritsar—(Transferee).
- (3) Shri Kanti Kumar s/o Shri Kultilak Ram, Swami Building, Rama Nand Bagh, Amritsar—[Person(s) in occupation of the Property].
- (4) Any person interested in the property.—[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,
- (b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Apple orchard in village Shalana (commonly known as Parkash Orchard & Nursery, Shalana) as mentioned in the Registered Deed No. 5 of January, 1973 of the Registering Officer, Rajgarh.

H. S. DHURIA,

(Competent Authority),

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar.

Seal

सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रंज अमृतसर का कार्यालय

अमृतसर, 30 जुलाई 1973

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

सं० ए० एस्० आर०/आर० जी०/73-74/पी० 175/एस्० 117/920.—

यतः मूले एच० एस्० धुरिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन मक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति,

जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सेवों का बाग शालाना गांव में, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5 जनवरी, 1973 लिखा है, जो गांव शालाना, डाकखाना, तहसील राजगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में लिखा और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय, राजगढ़ (हिमाचल प्रदेश) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973, जनवरी को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्व सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरीणी (अन्तरीणियों) के बीच लय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने के लिए मुकर बनाना और/या

(ख) ऐसी किराया या किसी धन या अन्य अस्तित्वों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरकों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिए मुकर बनाना ।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं ।

अतः अब, धारा 269-घ के अनुमरण में मैं आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्री दीवान सिंह आर्य, पुत्र श्री कारेमल, गांधी नगर, मेरठ—अन्तरक ;
- (2) श्री कान्त कुमार, पुत्र श्री कुलतिलक राम स्वामी विन्डिंग, रामानन्द बाग, अमृतसर—अन्तरिणी ।
- (3) श्री कान्तकुमार, पुत्र श्री कुलतिलक राम, स्वामी विन्डिंग, रामानन्द बाग, अमृतसर—

(वह व्यक्ति जिसके अधिभाग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

- (4) श्री/श्रीमती/शुभारी—कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रक्षित रखता है ।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधो-हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए पतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है तो :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होनी हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :—
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किंग, जा. राजेसे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इन स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किये गये आक्षेपों, यदि कोई हों की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति का, जिसमें ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरीति को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्वोक्त पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण .—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मेरों का बाग आलाना गांव में, (आम मण्डूर प्रकाश आर्कैड एण्ड नर्सरी—शालाना के नाम) जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5 जनवरी, 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजगढ़ में लिखा है ।

एच० एम० धूरिया,
सक्षम प्राधिकारी,
आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज अमृतसर ।